

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

फ्रमांक : शिविरा/मा./माध्यमिक/3-2/केमाशिवो/2013-14 दिनांक : 26-06-2013

(1) सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, दिल्ली-1100092

(2) सचिव,

सी.आई.एस.सी.ई.
प्रगति हाउस, तीसरी मंजिल
47-48, नेहरू पैलेस
नई दिल्ली- 110505

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई. से सम्बद्धता प्राप्ति
हेतु अनापाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8) शिक्षा-1/2009 पार्ट-II जयपुर दिनांक 26.06.2013 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के सम्बन्ध सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली/सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापाति प्रमाण पत्र दद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1	माहेश्वरी इन्टरनेशनल स्कूल, कोटड़ा, महाराष्ट्रा प्रतापनगर, अजमेर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
2	इमानुएल मिशन, सैकेण्टरी स्कूल, बलाड रोड, ब्यावर, अजमेर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
3	भगवान महावीर पब्लिक उमावि, पंचशील नगर अजमेर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
4	श्री नृसिंह अग्रसेन विद्यापीठ मावि, सैद्धा रोड ब्यावर, अजमेर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
5	सेन्ट पॉल्स उमावि अलवर गेट, अजमेर	CBSE	2013-14	हिन्दी एवं अंग्रेजी
6	प्रेसीडेन्सी स्कूल गेगल (अजमेर)	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
7	सुधा सागर पब्लिक स्कूल, आवा, तडो देवली जिला टांक	CBSE	2013-14	अंग्रेजी

३१५-

E:\All Documents\Sec-A-2\C.B.S.E.- 2013-14\CBSE - NOC-2013-14.doc

Principal
Mount Carmel Convent School
Bagrana, Jaipur
28/9/2022

52	पोददार इंटरनेशनल स्कूल, फर्तेहपुरावास, वाया वाटिका, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
53	माउण्ट कार्मिल कान्चेन स्कूल, माली की कोठी, बगराना, आगरा रोड, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
54	द पैलेस स्कूल, सिटी पैलेस, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
55	पटेलस इंटरनेशनल स्कूल, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
56	सेन्ट लारेन्स पब्लिक स्कूल, एन.एच. 11, जैतपुरा, चौमू, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
57	राजधानी स्कूल, कंवरपुरा, कोटपुतली, जिला जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
58	टिनी टोट्स कान्चेन स्कूल, गोविन्दगढ़, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
59	सवाई मानसिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ड्यॉडी कोडी, जोवनेर, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
60	ब्राइटमून पब्लिक स्कूल, खोरा श्यामदास, तडो आमेर, जयपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
61	विनायक इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
62	शेखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एज्युकेशन, सेवद बड़ी, सीकर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
63	संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, घरण सिंह गेट, सीकर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
64	सेन्ट जॉन्स स्कूल, सेवद बड़ी, जिला सीकर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
65	विश्व भारती एकेडमी, पिपराली रोड, सी.एल.सी.वाली गली में, बाबा होस्टल के सामने, सीकर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
66	एक्सीलेन्स इंगिलिश एकेडमी भैरूजी सर्किल, रीगांस, (सीकर)	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
67	विद्या इन्टरनेशनल स्कूल, दौसा	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
68	फिरोज खान मेनोरियल गल्ली उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाल लिंक रोड, जोधपुर	CBSE	2013–14	हिन्दी
69	बादलचंद सुमनकंवर चोरडिया उमावि, बिलाडा, (जोधपुर)	CBSE	2013–14	हिन्दी
70	मयूर चौपासनी स्कूल, जोधपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
71	सर प्रताप उमावि, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
72	पैरा माउण्ट इन्टरनेशनल स्कूल देवपुरा (राजमन्द)	CBSE	2013–14	अंग्रेजी
73	युगान्तर इन्टरनेशनल स्कूल, पंचशती सर्किल, सादुलगंज, बीकानेर	CBSE	2013–14	अंग्रेजी

(Hm)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर कार्यालय -आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (युप-६) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक

प.

9(2)शिक्षा-5/05 दिनांक 18.03.2011 व 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बोर्डनेर के आदेश क्रमांक शिविर/प्रारंभ/शैक्षिक/सी/19626/11-12 दिनांक 18.03.2011व 25.04.2011 के अनुपालन में निम्न विद्यालयों को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विधालय से उच्च प्राथमिक विधालय में त्रयीन्तर करने देखु प्राप्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्दिष्ट शर्तों व पालना करने वाली प्रस्तुत राप्त-पत्र (अप्पर ट्रैफिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संख्या का आवेदन मत्र निम्न शर्तोंके अधार पर स्थीकार किया जाता है—

- 1- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के निम्न -1923 के प्रतिशिष्ठ-2 में चया निर्देशित विवरणों तथा शर्तों को पूर्ति करने वालत प्रस्तुत राप्त-पत्र के अनुसार सभी शर्तों पूर्णी करती है।
- 2- संस्था द्वारा चाचा सरकार/आयुक्त/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रसिद्ध की जायें।
- 3- संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश पा सकते हैं, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 4- संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2011-12 से त्रयीन्तर की जावेगी, क्रमोन्त्र प्रथम सत्र में क्र.सं. 6 में सत्र 2012-13 में क्र.सं. 7 में, एवं सत्र 2013-14 में क्र.सं. 8 प्राप्त हो जायेगी।
- 5- कवानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अन्यायक मानवजनुसार किये जायें।
- 6- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष संख्या अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
- 7- दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आव-व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करें।
- 8- कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भल्हों आदि की शुगिशा दी जायें।
- 9- शिक्षा से विनियत परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आपश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- 10- राप्त पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- 11- माननीय न्यायालय के पूर्वनुमति के शिक्षा सत्र 2011-12 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्ण में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई शुल्क बढ़ा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के विरुद्ध के विरुद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का शिक्षिलता वर्ती जाने की स्थिति में इसी गंभीरता से लिया जायेगा।
- 12- अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवश्य करावें।
- 13- इस्का अधिकार नियम 2010 के प्रावधान्युक्त छात्रों को अन्वेष देना अनिवार्य होगा।
- 14- विधालय भवन में सोबाइल टॉवर नहीं होने तथा वासिस्तर में हाईटेशन लाईन नहीं पुराने राम्यन्धी प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जायें।
- 15- गल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वारा 19 व 25 विधालय के लिए मान और मानक की आलना एक वर्ष में कर अवश्य कराना होगा अन्यथा मानवता स्वरूप ही निरुत्त मानी जावेगी।
- 16- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना देखु संख्या जावेगी।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता उत्तर
1.	एस एल सेमारियल स्कूल, हरसोली, सामरलेक, जयपुर	अंग्रेजी
2.	डिसेन्ट एकेडमी, मोहनपुरा, सामुपुरा रोड, सागानेर, जयपुर	अंग्रेजी
3.	श्री कृष्ण चिल्ड्रन एकेडमी, बाधादास, सामरलेक, जयपुर	अंग्रेजी
4.	लिलिट एन्जल एकेडमी, कृष्ण विहार, खेजरोली, गोविन्दगढ़, जयपुर	अंग्रेजी
5.	रीबस पब्लिक स्कूल, सी 19, नित्यानंद नगर, तर्वीस रोड, जयपुर	अंग्रेजी
6.	के के मेमोरियल पब्लिक स्कूल, 46 जैतपुरी कालोनी, महेश नगर, जयपुर	अंग्रेजी
7.	सन रस्टर स्कूल, स 6, वैशाली मार्ग, पुलिस स्टेशन के सामने, वैशाली नगर, जयपुर	अंग्रेजी
8.	ब्राइट कृष्णचर चिल्ड्रन एकेडमी, आकाश विहार आपणी ढाणी रोड नं. 14, सीकर रोड, जयपुर	अंग्रेजी
9.	सेंट जोसफस स्कूल, शाहपुरा, जयपुर	अंग्रेजी
10.	राजधानी पब्लिक स्कूल, सारदान, मोहल्ला राज द्वारा के पास, मनोहरपुर, शाहपुरा	हिन्दी
11.	सुनाव विद्या आश्रम, डाणी रथोग्राम वाली खड़ी कोटपुराली, जयपुर	हिन्दी
12.	शाति वनस्थली विद्यापीठ, बाण गगा मेड, विराटनगर, जयपुर	हिन्दी
13.	न्यू पैसगान पब्लिक स्कूल, नीएसएनएल एक्सेल रोड, बाड़ नं. 2, कोटपूराली, जयपुर	अंग्रेजी
14.	आर एन पब्लिक स्कूल, कल्याणपुरा, विराटनगर, जयपुर	हिन्दी
15.	तनु चिल्ड्रन एकेडमी, जोवनेर, पस सामरलेक,	अंग्रेजी
16.	एकता बाल मंदिर, नीरनपुरा, बादा सामरलेक, जयपुर	हिन्दी

*Mount Carmel Convent School
Bagrana, Jaipur
28/1/2022.*

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर कार्यालय –आदेश

- शज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (पृष्ठ-5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक ५
१(२)पिन्डा-५/०५ दिनांक १८.०३.२०११ व २१.०४.२०११ एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक:
शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/१९६२६/११-१२ दिनांक १८.०३.२०११व २५.०४.२०११ के अनुसालन में निन विधालयों को (हिन्दी
माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विधालय से उच्च प्राथमिक विधालय में ब्रह्मीन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर
राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. १ से ५ तक में निर्दिष्ट शर्तों व पालना करने वाले प्रस्तुत शब्द-पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं
समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है:-
- १- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम -१९९३ के परिशिष्ट -२ में यथा निर्देशित निवन्धकों तथा शर्तों की पूर्ति करने
वाले प्रस्तुत शब्द-पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती हैं।
 - २- संस्था द्वारा राज्य सरकार/ आमुक्त प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं खालीक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
द्वारा तमाय-२ उनके द्वारा मार्गी जाने वाली प्रत्येक सूचना तमाय पर प्रभित की जायें।
 - ३- संस्था के विधार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश या सकें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित
प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उल्लीण करनी होगी।
 - ४- संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र २०११-१२ से ब्रह्मीन्नत की जावेगी, क्रमान्वय प्रथम सत्र में कक्षा-६ में
, सत्र २०१२-१३ में कक्षा-७ में, एवं सत्र २०१३-१४ में कक्षा-८ प्रारम्भ की जावेगी।
 - ५- बड़ानगुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अव्यापक बानदण्डानुसार किये जावें।
 - ६- भवन-सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सदाम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
 - ७- दिनांक ३० लितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय विवरण स्थानीय
कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करें।
 - ८- कार्यस्त कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भरतो आदि की सुविधा दी जायें।
 - ९- शिक्षा से विहित परिस्थिति के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से
प्रस्तुत करें।
 - १०- शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के
विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
 - ११- माननीय न्यायालय के पूर्वनुमति के शिक्षा सत्र २०११-१२ में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क
लिया जावेगा। यदि कोई शुल्क बढ़ा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगा। उक्त आदेशों की
पालना में किसी भी प्रकार का शिथिलता वर्ती जाने की विधियों में इसे बोर्डरता से लिया जायेगा।
 - १२- अग्निशमन संघटनों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करें।
 - १३- शिक्षा अधिकारी नियम २०१० के प्राक्कानूसार जावेगी, जो नियम देना जापियाँ होंगी।
 - १४- विधालय भवन में नोबाइल टॉवर नहीं होने तथा परिसर में हाईटेंशन लाइन नहीं मुजरने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत
किया जायें।
 - १५- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ के अन्वर्गी धारा १९ व २५ विधालय के लिए मान और मानक की पालना एक वर्ष में
कर अवगत करना होगा अन्यथा मान्यता रखा ही नियम नामी जावेगी।
 - १६- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना हेतु संस्था काढ़ होगी।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर
१.	एस एल मेमोरियल स्कूल, हरसोली, सामरलेक, जयपुर	अंग्रेजी
२.	डिसेन्ट एकेडमी, मोहननुसा, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर	अंग्रेजी
३.	श्री कृष्ण विल्डन एकेडमी, बाघाबास, सामरलेक, जयपुर	अंग्रेजी
४.	लिलिट एन्जल एकेडमी, कृष्णा विहार लेजेन्डो, गोविन्दगढ़, जयपुर	अंग्रेजी
५.	रीबस पब्लिक स्कूल, सी १९, नित्यानंद नगर, ब्रह्मीन्न रोड, जयपुर	अंग्रेजी
६.	के के मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ४६ जौतपुरी कलोनी, महेश नगर, जयपुर	अंग्रेजी
७.	सन स्टार स्कूल, ए ६, देशस्ती नार्म, पुलिस रेंटेन के सामने, देशस्ती नगर, जयपुर	अंग्रेजी
८.	ब्राइट क्यूबर चिल्ड्रन एकेडमी, आकाश विहार आपणी डाणी रोड नं. १४, सीकर रोड, जयपुर	अंग्रेजी
९.	सेंट जोसफस स्कूल, शाहपुरा, जयपुर	हिन्दी
१०.	राजधानी पब्लिक स्कूल, सारदान, मोहल्ला राम द्वारा के पास, मोहरपुर, शाहपुरा	हिन्दी
११.	सुभाष दित्या आश्रम, डाणी शोग्राम दाली खुर्दी कोटपुली, जयपुर	हिन्दी
१२.	शांति वनस्पती विद्यालय, बाण गगा नेड, विराटनगर, जयपुर	हिन्दी
१३.	न्यू प्रेसान पब्लिक स्कूल, बीएसएनएल एक्सक्यूटिव रोड, ताड नं. २, कोटपुली, जयपुर	हिन्दी
१४.	आर एन पब्लिक स्कूल, कल्याणपुरा, विराटनगर, जयपुर	अंग्रेजी
१५.	तनु विल्डन एकेडमी, जोधपुर, बाया सामरलेक, जयपुर	हिन्दी
१६.	एकता बाल नंदिर, जोधपुर, बाया सामरलेक, जयपुर	अंग्रेजी

Principal
Mount Carmel Convent School
Begonia, Jaipur
28/9/2022